संख्या–121 / आ0ब0–आ0नि0 / शमन / 99–2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव, आवास /
अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

आवास बन्धु लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2000

विषय :गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत एफ.ए.आर. तथा अनुमन्य इकाइयों में कम्पाउण्डिंग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बिल्डर्स एसोसिएशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद ने शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 19.4.2000 द्वारा सूचित किया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत की गई व्यवस्थानुसार 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण के शमन हेतु कई आवेदकों ने सेल्फ असेसमेन्ट के आधार पर आवेदन पत्र जमा किए थे। परन्तु प्राधिकरण द्वारा इन मानचित्रों पर अनावश्यक आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं जिसके कारण अधिकांश मानचित्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अतिरिक्त शमनीय एफ.ए.आर. के साथ कितनी इकाइयाँ शमनीय हैं, की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन उपविधि जो दिनांक 21.4.1998 को लागू की गई थी, की अनुसूची के क्रमांक–12 के अन्तर्गत 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग / अनुमन्य इकाइयों से अधिक इकाइयों के शमन हेतु स्पष्ट प्राविधान किया गया है। ऐसे प्रकरणों में अनुमन्य एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. के शमन अथवा अनुमन्य इकाइयों से अधिक इकाइयों के शमन हेतु उपविधि के परिशिष्ट–1ए सिद्धान्त–ब में दिए गए फार्मूला के अनुसार ग्रुप हाउसिंग अथवा एकल भूखण्डों हेतु केवल अधिकतम शमनीय एफ.ए.आर. की सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत निर्मित समस्त इकाइयाँ शमनीय हैं।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत लम्बित ऐसे प्रकरणों का निस्तारण उपरोक्त व्यवस्थानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।

संख्या : 121(1)आ0ब0–आ0नि0 / शमन / 99–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री एस0 पी0 सिंह, सचिव, बिल्डर्स एसोसिएशन, सी–3ए शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन–2ए साहिबाबाद, गाजियाबाद को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 19.4.2000 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव।